यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखंड के माह अप्रैल 2012 से नवम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री सुनील दत्त, एवं श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.12.2018 से 10.12.2018 तक सम्पादित किया गया।

## भाग-I

**1. परिचयात्मकः** इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड, बागेश्वर है इकाई का क्रियाकलाप खण्ड के माध्यमिक विध्यालयों का प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

(अ) विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2018-19 (नवम्बर 2018) में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

*(₹ लाख मे)*

| वर्ष | योजना का नाम | आवंटन | व्यय | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 195.73 | 195.56 | 0.17 |
| 2013-14 | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 62.74 | 62.74 | - |
| 2014-15 | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 65.25 | 65.25 | - |
| 2015-16 | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 57.93 | 57.93 | - |
| 2016-17 | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 95.05 | 95.05 | - |
| 2017-18 | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 109.01 | 109.01 | - |
| 2018-19 (up to NOV. 18) | 2202 सामान्य शिक्षा DDO Code 4505 | 112.37 | 92.31 | 20.07 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

***(₹ लाख मे)***

| वर्ष | योजना का नाम | प्राप्त | | व्यय | | अधिक्य (+) | | बचत (-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य |
| 2012-13 | | -Nil- | | | | | | | |
| 2013-14 | | | | | | | | | |
| 2014-15 | | | | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | | | | |
| 2016-17 | | | | | | | | | |
| 2017-18 | | | | | | | | | |
| 2018-18 | | | | | | | | | |

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

| S.No | Year | Name of Society/ NGO involved | Government expenditure through Society/NGO |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 2012-13 | -Nil- | |
| 2 | 2013-14 | | |
| 3 | 2014-15 | | |
| 4 | 2015-16 | | |
| 5 | 2016-17 | | |
| 6 | 2017-18 | | |
| 7 | 2018-19 | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “सी” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार हैः-

<u>शिक्षा सचिव</u>

↓

महानिदेशक

| | |
|---|---|
| निदेशक मा.शि. | निदेशक प्रा.शि. |
| ↓ | ↓ |
| अपर निदेशक मा.शि. (कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल) | अपर निदेशक प्रा.शि. (कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल) |
| ↓ | ↓ |
| जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी | जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी |
| ↓ | ↓ |
| जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) | जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) |
| ↓ | ↓ |
| विकासखण्ड---- | विकासखण्ड---- |
| खण्ड शिक्षा अधिकारी | उप शिक्षा अधिकारी |
| ↓ | ↓ |
| प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या | प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका |

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड, बागेश्वर है। इस लेखा परीक्षा प्रक्रिया में खण्ड शिक्षा अधिकारी बागेश्वर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मई 2012, मार्च 2016, मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो-ब

**प्रस्तर-1 - लेखापरीक्षा को धनराशि ₹ 120.14 लाख का बिल/बाउचर (Bills/Vouchers) आदि प्रस्तुत नहीं किया जाना।**

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बागेश्वर के लेखापरीक्षा अवधि मे विस्तृत जांच हेतु चयनित माह मई 2012 के व्यय धनराशि ₹ 1,20,13,556/- (DDO Code-4505) के बिल/बाउचर (Bills/Vouchers) एवं इससे संबंधित किसी प्रकार के अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिसका विवरण निम्नवत है:

(अ)

| Voucher Number | Date | Account Head Code | Amount (`) |
|---|---|---|---|
| A22020001 | 7.5.2012 | 220202101040001 | 86,466/- |
| A22020002 | 7.5.2012 | 220201101040001 | 1,18,40,574/- |
| A22020109 | 30.5.2012 | 220202101040001 | 86,516/- |
| | | Total | 1,20,13,556/- |

उक्त के अतिरिक्त चयनित माह के निम्न बिल/बाउचर (Bills/Vouchers) भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए;

(ब)

| Voucher Number | Date | Account Head Code | Amount (`) |
|---|---|---|---|
| B22020131 | 14.3.2017 | 220202109070016 | 9,497/- |
| B22020520 | 25.3.2017 | 220202109050012 | 40,000/- |
| B22020521 | 25.3.2017 | 220202109050026 | 7,500/- |
| B22020302 | 19.3.2018 | 220202109030008 | 1,200/- |
| B22020303 | 19.3.2018 | 220202109030004 | 914/- |

लेखापरीक्षा के द्वारा उक्त (अ) के संबंध मे इकाई को इंगित किए जाने पर उत्तर दिया गया कि वर्ष 2012 मे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के साथ ही उप शिक्षा खंड अधिकारी (प्रा.शि.) का कार्य एक साथ होता था जिस कारण खंड कार्यालय का पृथक से बिल बाउचर उपलब्ध नहीं है। समस्त बिल बाउचर उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) कार्यालय मे है, वर्तमान मे उपलब्ध नहीं है। आगामी लेखापरीक्षा के समय उपलब्ध करने का प्रयास किया जाएगा। (ब) के संबंध मे कार्यालय द्वारा बताया गया कि उक्त बिल बाउचर विद्यालयों से संबन्धित है, विद्यालयों से मंगाकर आगामी लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो-ब**

**प्रस्तर 2 - धनराशि ₹ 33.71 लाख का अनियमित व्यय**

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बागेश्वर के अंतर्गत आने वाले राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, बहुली, बागेश्वर (DDO Code-4505, खंड शिक्षा अधिकारी) के लेखापरीक्षा अवधि के लेखाभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि विद्यालय मे अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के भोजन आपूर्ति हेतु 2016-17 के लिए ठेकेदार इन्द्र सिंह फर्स्वान की निविदा को स्वीकृत किया गया एवं इसके द्वारा 2016-17 मे छात्र-छात्रों को भोजन की आपूर्ति की गई। आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 के बाद भी अर्थात अप्रैल 2017 से वर्तमान (नवम्बर 2018) तक 2016-17 के ही ठेकदार द्वार भोजन की आपूर्ति की जा रही है तथा इसके लिए न तो कोई निविदा आमंत्रित की गई और न ही कोई निविदा स्वीकृत की गयी। इस प्रकार 2016-17 के बाद 2017-18 तथा 2018-19 के लिए ठेकदार के द्वारा निविदा प्रक्रिया के बिना ही द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान तक (नवम्बर 2018) निम्न भुगतान कार्यालय के द्वारा भोजन आपूर्तिकर्ता के ठेकेदार को किया गया:

| वर्ष | धनराशि (₹) |
|---|---|
| 2017-18 | 19,76,548/- |
| 2018-19<br>(नवम्बर 2018 तक) | 13,94,000/- |
| कुल | ₹ 33,70,548/- |

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली तथा वित्तीय नियमानुसार अनुबंध एक वर्ष के लिए ही मान्य होता है तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनः निविदा निकाली जानी चाहिए। इस प्रकरण मे 2016-17 के बाद किसी प्रकार की कोई निविदा नहीं निकाली गयी तथा 2016-17 के ठेकेदार से ही वर्तमान तक भोजन अपूति की सेवाएँ ली जा रही है जो कि वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संबंध मे इकाई से यह पूछे जाने पर कि 2016-17 के बाद अगले वित्तीय वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित नहीं किए जाने तथा पुराने ठेकेदार से भोजन आपूर्ति की सेवा लेने पर इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि वर्ष 2017-18

मे निदेशालय स्तर से भोजन टेंडर के संबंध मे अवगत कराया गया कि नए टेंडर की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पुराने आपूर्तिकर्ता द्वारा भोजन आपूर्ति किया जाएगा। वर्ष 2018-19 मे निदेशालय द्वारा माह जुलाई 2018 मे निर्देशित किया गया कि भोजन आपूर्ति हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय जिस क्रम मे वर्तमान मे टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक टेंडर प्रक्रिया गतिमान है एवं अभी तक 2016-17 के निबंधित ठेकेदार से ही भोजन की आपूर्ति की जा रही है जो कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग-III**

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर | भाग-II 'ब' प्रस्तर | स्टैन |
|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है | | | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है | | | | |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

**-शून्य-**

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1。 | श्री राम संजीवन | खण्ड शिक्षा अधिकारी | 06.08.2009 से 19.01.2015 |
| 2。 | श्री वृजेश जोशी | खण्ड शिक्षा अधिकारी | 16.01.2015 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), “महालेखाकार भवन”, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**